## अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में डा0 राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना अन्तर्गत ई–पंचायत स्टेट रिव्यू कमेटी की चतुर्थ बैठक का आयोजन।

दिनांकः–22 फरवरी, 2022
स्थानः– पंचायती राज निदेशालय, लोहिया भवन, अलीगंज लखनऊ।
समयः– अपराह्न 03:00 बजे।

### एजेण्डा बिन्दु

| | |
|---|---|
| एजेण्डा बिन्दु–1 | डा0 राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना का संक्षिप्त परिचय। |
| एजेण्डा बिन्दु–2 | डॉ राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजनान्तर्गत आयोजित तृतीय बैठक में लिए गये निर्णयों के परिपालन की स्थिति तथा चतुर्थ बैठक के एजेण्डे की पुष्टि। |
| एजेण्डा बिन्दु–3 | वर्ष 2021–22 में योजना के क्रियान्वयन की प्रगति पर अनुमोदन। |
| एजेण्डा बिन्दु–4 | वर्ष 2022–23 की प्रस्तावित कार्ययोजना पर चर्चा। |
| एजेण्डा बिन्दु–5 | अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से। |

# अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन/अध्यक्ष, ई–पंचायत स्टेट रिव्यू कमेटी की अध्यक्षता में डा0 राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना अन्तर्गत ई–पंचायत स्टेट रिव्यू कमेटी की चतुर्थ बैठक का कार्यवृत्त।

**दिनांक:** 22 फरवरी, 2022
**स्थान:** पंचायती राज निदेशालय, लोहिया भवन अलीगंज लखनऊ।
**समय:** अपराह्न 03:00 बजे।

अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में डा0 राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तीकरण योजना अन्तर्गत गठित ई–पचांयत स्टेट रिव्यू कमेटी की चतुर्थ बैठक का आयोजन किया गया जिसमें निम्नलिखित समिति सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया :–

| क्र. | नाम | पदनाम | विभाग |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री मनोज कुमार सिंह | अपर मुख्य सचिव | पंचायती राज, उ.प्र. शासन। |
| 2. | श्री अनुज कुमार झा | निदेशक | पंचायती राज, उ.प्र.। |
| 3. | श्री ए.के. शाही | संयुक्त निदेशक | पंचायती राज, उ.प्र.। |
| 4. | श्री ब्रजेश कुमार | वित्त नियंत्रक/मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी | पंचायती राज, उ.प्र.। |
| 5. | श्रीमती प्रवीणा चौधरी | उपनिदेशक(पं0) | पंचायती राज, उ.प्र.। |
| 6. | श्री एस.एन. सिंह | उपनिदेशक(पं0) | पंचायती राज, उ.प्र.। |
| 7. | श्री योगेन्द्र कटियार | उपनिदेशक(पं0) | पंचायती राज, उ.प्र.। |
| 8. | श्री गिरीश चन्द्र रजक | मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), लखनऊ | पंचायती राज, उ.प्र.। |
| 9. | श्री अमरजीत सिंह | मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), अलीगढ | पंचायती राज, उ.प्र.। |
| 10. | श्री मनीष कुमार | मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), मेरठ | पंचायती राज, उ.प्र.। |
| 11. | श्री बी.बी. सिंह | मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), बस्ती | पंचायती राज, उ.प्र.। |
| 12. | श्री राम जियावन | मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), आजमगढ़ | पंचायती राज, उ.प्र.। |
| 13. | श्री हरिकेश बहादुर | मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), सहारनपुर | पंचायती राज, उ.प्र.। |
| 14. | श्री अनिल कुमार सिंह | मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), वाराणसी | पंचायती राज, उ.प्र.। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15. | श्री ए.के. शाही | मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), कानपुर | पंचायती राज, उ.प्र.। |
| 16. | श्री आर. एस. चौधरी | मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), गोण्डा | पंचायती राज, उ.प्र.। |
| 17. | श्री संजय कुमार यादव | मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), झांसी | पंचायती राज, उ.प्र.। |
| 18. | श्री श्रवन कुमार | अपर जिला पंचायत राज अधिकारी (तकनीकी), देवरिया (प्रतिस्थानी मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), गोरखपुर) | पंचायती राज, उ.प्र.। |
| 19. | श्री जन्मेजय शुक्ला | उपायुक्त, (प्रतिस्थानी आयुक्त) | ग्राम्य विकास विभाग |
| 20. | श्री अरविन्द कुमार राय | उपनिदेशक / सी.ई.ओ. | जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक |
| 21. | श्री प्रवीन कुमार | उपनिदेशक | जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक |
| 22. | श्री राजकुमार गुप्ता | तकनीकी निदेशक | एन.आई.सी. |

बैठक में चर्चा के बिन्दुओं पर समिति के निर्णय निम्न प्रकार से हैः–

| **एजेण्डा** | **समिति द्वारा लिये गये निर्णय** |
|---|---|
| **एजेण्डा बिन्दु–1: डा0 राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना का संक्षिप्त परिचय।** | |
| डॉ. राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 में परिकल्पित (concieved) की गयी।<br><br>**योजना के उद्देश्य** :–<br>• पंचायतों में ई–गवर्नेन्स की स्थापना करना।<br>• पंचायतों में ई–गवर्नेन्स की उत्तरोत्तर वृद्धि किया जाना।<br>• पंचायतों को सशक्तीकरण हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करना।<br>• पंचायतों का प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता विकास करना।<br><br>**योजना के घटक / गतिविधियाँ** :–<br>• राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई हेतु परामर्शी एवं कर्मी। | **माननीय समिति संज्ञानित हुई।** |

| | |
|---|---|
| • मण्डल / जनपद कार्यक्रम प्रबन्धन इकाइयों हेतु परामर्शी।<br>• मण्डल / जनपद कार्यक्रम प्रबन्धन इकाईयों हेतु डेस्कटॉप कम्प्यूटर सिस्टम।<br>• ई–गर्वनेन्स के अन्तर्गत विकसित सॉफ्टवेयर पर प्रशिक्षण।<br>**<u>योजना के संचालन हेतु समितियों का गठन</u> :–**<br>राज्य स्तर पर दो समितियों का गठन :–<br>**(क)–ई–पंचायत स्टेट रिव्यू कमेटी** :–शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ.प्र. की अध्यक्षता में ई–पंचायत स्टेट रिव्यू कमेटी का गठन किया गया है।<br>**(ख)–कार्यकारी समितिः**–निदेशालय स्तर पर निदेशक महोदय की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति का गठन किया गया है। | **माननीय समिति संज्ञानित हुई।** |
| **मा0 कमेटी के अवगतार्थ प्रस्तुत।** | |

**एजेण्डा बिन्दु–2: डॉ राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजनान्तर्गत तृतीय बैठक में लिए गये निर्णयों के परिपालन की स्थिति तथा चतुर्थ बैठक के एजेण्डे की पुष्टि।**

| तृतीय बैठक में लिए गए निर्णय | निर्णयों के परिपालन की स्थिति | |
|---|---|---|
| 1–योजनान्तर्गत जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई में जनपदों में कार्यरत समस्त जिला परियोजना प्रबन्धकों के वित्तीय वर्ष 2018–19 की सेवाओं के सापेक्ष पूर्ण धनराशि की अनुपलब्धता के कारण अवशेष धनराशि रू0 30,11,228/– का भुगतान वित्तीय वर्ष 2019–20 में योजनान्तर्गत प्राप्त धनराशि से भुगतान किया जाना। | समिति द्वारा प्राप्त अनुमोदन के क्रम में परिपालन कर लिया गया। | **माननीय समिति संज्ञानित हुई।** |
| 2–योजनान्तर्गत प्रदेश के | पंचायतों की परिसम्पत्तियों | |

| | | |
|---|---|---|
| पंचायतों की परिसम्पत्तियों के स्टीमेट तैयार करने हेतु 01 सॉफ्टवेयर तैयार/क्रय किया जाना। | के स्टीमेट तैयार करने हेतु मनरेगा में प्रयोग किये जा रहे सिक्योर सॉफ्टवेयर को ई–ग्राम स्वराज साफ्टवेयर के साथ जोडने हेतु पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध किया गया, परन्तु अपेक्षित प्रगति प्राप्त न होने पर राज्य स्तर पर ही पृथक से नवीन साफ्टवेयर तैयार कराया जाना प्रस्तावित है। | **माननीय समिति संज्ञानित हुई एवं प्रस्ताव से सहमत हुई।** |
| 3–योजनान्तर्गत प्रदेश में नवनियुक्त 5,000 सचिवों को दो दिवसीय तकनीकी प्रशिक्षण सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नोडल संस्था के माध्यम से कराया जाना। | समिति द्वारा प्राप्त अनुमोदन के क्रम में परिपालन किया गया। | **माननीय समिति संज्ञानित हुई।** |
| 4–राज्य/मण्डल/जनपद स्तर पर कार्यरत तकनीकी रिर्सोसेज द्वारा शासकीय कार्यों हेतु की जाने वाली यात्राओं के सापेक्ष धनराशि का भुगतान किया जाना। | समिति द्वारा प्राप्त अनुमोदन के क्रम में मण्डल/जनपदों को धनराशि हस्तान्तरित की गई है। | **माननीय समिति संज्ञानित हुई।** |
| 5–राज्य/मण्डल/जनपद में कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटर स्टेशनरी आदि का क्रय किया जाना। | समिति द्वारा प्राप्त अनुमोदन के क्रम में मण्डल/जनपदों को धनराशि हस्तान्तरित की गई है। | **माननीय समिति संज्ञानित हुई।** |
| **मा0 कमेटी के अवगतार्थ प्रस्तुत।** | | |

| एजेण्डा बिन्दु–3: वर्ष 2021–22 में योजना के क्रियान्वयन की प्रगति एवं गतिविधियों पर अनुमोदन। | |
|---|---|
| <br>1. कार्यालय व्यय (मद संख्या–08) :–<br>• शासन/निदेशालय पर किराये पर प्रयोग किये जा रहे 02 वाहनो के सापेक्ष अप्रैल, 2021 से मार्च, 2022 तक के किराये का भुगतान।<br>• मण्डलीय उपनिदेशक (पं0) कार्यालयों को कार्यालय व्यय हेतु रू0 50,000/– की प्रशासनिक मद में हस्तान्तरित किया गया।<br>• शासन/निदेशालय स्तर से मॉग के आधार पर उपलब्ध कराये जाने वाली स्टेशनरी के सापेक्ष भुगतान किया गया है।<br>• योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में प्राप्त धनराशि रू0 60.00 लाख में से धनराशि रू0 29.63 लाख का व्यय किया गया है तथा शेष धनराशि रू0 30.37 लाख का व्यय दिनांक 31 मार्च, 2022 तक कर लिया जायेगा। | **माननीय समिति संज्ञानित हुई एवं अनुमोदन प्रदान किया गया।** |

| क्र. | मद संख्या | गतिविधियाँ/कार्य | प्राप्त धनराशि (लाख रू. में) | व्यय धनराशि (लाख रू. में) | अवशेष धनराशि (लाख रू. में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 08 | कार्यालय व्यय | 60.00 | 29.63 | 30.37 |
| 2. | 16 | व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान | 100.00 | 75.55 | 24.45 |
| 3. | 42 | अन्य व्यय | 185.00 | 39.90 | 145.10 |
| 4. | 46 | कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का क्रय | 35.00 | 12.09 | 22.91 |
| 5. | 47 | कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बंधी स्टेशनरी का क्रय | 25.00 | 12.65 | 12.35 |
| | | योग | **405.00** | **169.83** | **235.17** |

2. <u>व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान (मद संख्या–16)</u> :–

- योजनान्तर्गत शासन/निदेशालय स्तर पर कार्यरत 02 कम्प्यूटर आपरेटर/02 आफिस हेल्पर (शासन स्तर पर कार्यरत) के वर्ष 2021–22 के मानदेय का भुगतान किया गया।
- योजनान्तर्गत मण्डल स्तर पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत 17 तकनीकी रिर्सोसेज (मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक) तथा 11 मण्डलीय एकाउन्टेंट के वित्तीय वर्ष 2021–22 के मानदेय का भुगतान।
- योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–22 में प्राप्त धनराशि रू0 100.00 लाख में से धनराशि रू0 75.55 लाख का व्यय किया गया है तथा शेष धनराशि रू0 24.45 लाख का व्यय दिनांक 31 मार्च, 2022 तक कर लिया जायेगा।

3. <u>अन्य व्यय (मद संख्या–42)</u> :–

- दिनांक 15 दिसम्बर, 2021 को मा. मुख्यमंत्री जी अध्यक्षता में डिफेन्स एक्सपो मैदान, वृन्दावन योजना, जनपद लखनऊ में ग्राम पंचायत सम्मेलन (उ.प्र. ग्राम उत्कर्ष समारोह) के आयोजन के सापेक्ष जिलाधिकारी लखनऊ द्वारा प्रस्तुत कुल व्यय धनराशि रू0 5.87 करोड़ प्रस्ताव के सापेक्ष धनराशि रू0 1.45 करोड़ का भुगतान योजनान्तर्गत किया जाना प्रस्तावित है।
- पंचायती राज निदेशालय भू–तल स्थित आडिटोरियम एवं लाइब्रेरी के सौन्द्रर्यीकरण हेतु अवशेष 30 प्रतिशत धनराशि का भुगतान किया गया।
- लोहिया भवन के मुख्य द्वार पर पंचायतीराज निदेशालय के नाम से 02 अदद बड़ा एलईडी बोर्ड लगाये जाने के सापेक्ष भुगतान किया गया।
- समय–समय पर मद की धनराशि से अन्य आवश्यक कार्यों के सापेक्ष भुगतान किया जा रहा है।

**माननीय समिति संज्ञानित हुई एवं अनुमोदन प्रदान किया गया।**

| | |
|---|---|
| **4. <u>कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का क्रय (मद संख्या–46)</u>** :–<br>• निक्सी के माध्यम से 5 टी.बी. का क्लाउड स्टोरेज के सापेक्ष धनराशि रू0 5.91 लाख का भुगतान निक्सी को किया गया।<br>• सामान्य निर्वाचन–2021 हेतु यूपीएलसी. के माध्यम से प्राइवेट आन डिमान्ड सर्वर एवं उसके रख–रखाव हेतु सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर की सेवाएं लिए जाने के सापेक्ष लगभग धनराशि रू0 6.00 लाख का भुगतान किया गया है।<br>• प्रदेश के समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0) कार्यालयों हेतु 1000 प्रतिभागियों की क्षमता का Zoom App का लाइसेंस क्रय कर उपलब्ध कराये जाने हेतु जेम पोर्टल पर निविदा की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जो आदर्श आचार संहित समाप्त होने के पश्चात पूर्ण कर लिया जायेगा, जिसपर लगभग धनराशि रू0 20.00 लाख का व्यय अनुमानित है।<br>• समय–समय पर मद की धनराशि से अन्य आवश्यक कार्यों के सापेक्ष भुगतान किया जा रहा है तथा मद में अवशेष धनराशि का व्यय दिनांक 31 मार्च, 2022 तक कर लिया जायेगा।<br>**5. <u>कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बंधी स्टेशनरी का क्रय (मद संख्या–47)</u>** :–<br>• निदेशालय स्तर पर बी.एस.एन.एल. के माध्यम से स्थापित 30 एम.बी.पी.एस. की लीज लाईन इन्टरनेट की सेवाओं के सापेक्ष धनरशि रू0 2.40 लाख का भुगतान किया गया है।<br>• समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0) कार्यालयों को धनराशि रू0 50,000/– की कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बंधी स्टेशनरी के क्रय हेतु हस्तान्तरित किया गया।<br>• समय–समय पर मद की धनराशि से अन्य आवश्यक कार्यों के सापेक्ष भुगतान किया जा रहा है। | **माननीय समिति संज्ञानित हुई एवं अनुमोदन प्रदान किया गया।** |
| **मा0 कमेटी से अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।** | |

| | |
|---|---|
| **एजेण्डा बिन्दु–4: वर्ष 2022–23 में योजनान्तर्गत प्रस्तावित बजट के सापेक्ष प्रस्तावित कार्ययोजना पर चर्चा एवं अनुमोदन।**<br>वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्रस्तावित कार्ययोजना धनराशि रू0 750.00 लाख के सापेक्ष गत वर्षों में प्राप्त बजट के अनुसार धनराशि रू0 405.00 लाख की धनराशि से निम्नांकित मदों में व्यय किया जाना प्रस्तावित है–<br>1. <u>कार्यालय व्यय (मद संख्या–08)</u> :–<br>• शासन/निदेशालय में किराये पर प्रयोग किये जा रहे वाहनो के सापेक्ष मार्च, 2022 से मार्च, 2023 तक प्रयोग किये जाने वाले वाहनों का भुगतान किया जाना प्रस्तावित।<br>• योजनान्तर्गत प्रदेश के समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0) कार्यालयों को रू0 50,000/– प्रत्येक मण्डल को प्रशासनिक मद में हस्तान्तरित किया जाना प्रस्तावित।<br>• शासन/निदेशालय स्तर से मॉग के आधार पर उपलब्ध कराये जाने वाली स्टेशनरी के सापेक्ष भुगतान किया जाना प्रस्तावित है।<br>• समय–समय पर शासन/निदेशालय स्तर पर अन्य आवश्यक कार्यों पर होने वाले व्यय का भुगतान प्रस्तावित। | **माननीय समिति संज्ञानित हुई एवं अनुमोदन प्रदान किया गया।** |
| 2. <u>व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान (मद संख्या–16)</u> :–<br>• योजनान्तर्गत शासन/राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई/मण्डल स्तर पर आउटसोर्सिंग पर स्वीकृत पद/कार्यरत रिर्सोसेज की सेवाएं दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक विस्तारित करते हुए उनके मानदेय का भुगतान किया जाना प्रस्तावित।<br>• योजनान्तर्गत कार्यरत तकनीकी कर्मियों/गैर तकनीकी कर्मियों के मानदेय में विगत 03 वर्षो से बढ़ोत्तरी न होने की दशा में योजनान्तर्गत 03 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत कर्मियों के मानदेय में 05 प्रतिशत की वृद्धि किया | **माननीय समिति संज्ञानित हुई एवं बिन्दु संख्या–2 के प्रस्तर–2 के क्रम में योजनान्तर्गत कार्यरत तकनीकी कर्मियों एवं गैर/तकनीकी कर्मियों के मानदेय में 05 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने के** |

| | |
|---|---|
| जाना प्रस्तावित है।<br>• समय–समय पर शासन/निदेशालय स्तर पर अन्य आवश्यक कार्यों पर होने वाले व्यय का भुगतान प्रस्तावित।<br>3. **अन्य व्यय (मद संख्या–42)** :–<br>• प्रदेश के प्रत्येक मण्डल से स्मार्ट पंचायत के रूप में उत्कृष्ट कार्य कर रही 01 स्मार्ट ग्राम पंचायत को रू0 02 लाख की धनराशि से तथा मॉडल/स्मार्ट कार्यालय के रूप में कार्य कर रहे जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में से 03 जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय को क्रमशः धनराशि रू0 03 लाख, 2.50 लाख, 02.00 लाख की धनराशि से पुरस्कृत किया जाना प्रस्तावित है।<br>❖ **उपरोक्तानुसार गतिविधियों पर धनराशि रू0 43.50 लाख का व्यय प्रस्तावित है।**<br>• प्रदेश के समस्त उपनिदेशक(पं0)/जिला पंचायत राज अधिकारियों हेतु ई–गवर्नेन्स एवं अन्य विभागीय उपलब्धियों पर राज्य स्तरीय 02 दिवसीय Experience sharing workshop का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है।<br>• प्रदेश के समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालयों में कार्यरत जिला परियोजना प्रबन्धक/अपर जिला परियोजना प्रबन्धक के शासकीय कार्य हेतु धनराशि रू0 25,000/– की दर से विविध व्यय हेतु धनराशि हस्तान्तरित किया जाना प्रस्तावित है।<br>• राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई में कार्यरत उन कन्सलटेंट हेतु प्रतिष्ठित संस्थानों से प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोर्स कराया जाना प्रस्तावित है, जो कम से कम 02 वर्ष की सेवाएं विभाग को दे चुके हों तथा सर्टिफिकेशन कोर्स के उपरान्त न्यूनतम 02 वर्ष की सेवाएं विभाग को दिया जाना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में उनसे सर्टिफिकेशन कोर्स पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति सम्बंधित से किया जाना प्रस्तावित है। उक्त गतिविधि पर लगभग धनराशि रू0 10.00 लाख का व्यय अनुमानित है।<br>• योजनान्तर्गत निदेशालय स्तर पर डेटा सेन्टर का निर्माण | **निर्देश दिये गये तथा प्रिट की कार्यकारिणी समिति में जो विभागीय एच.आर. पॉलिसी बनाने के निर्देश दिये गये हैं, से ही उक्त कार्मिक भी आच्छादित होंगे।**<br><br>• **माननीय समिति संज्ञानित हुई एवं योजनान्तर्गत निदेशालय स्तर पर डेटा सेन्टर का** |

| | |
|---|---|
| कराया जाना प्रस्तावित है, जिसपर लगभग धनराशि रू0 100.00 लाख का व्यय अनुमानित है। यह भी प्रस्तावित है कि विभाग की आवश्यकतानुसार भविष्य डेटा सेन्टर का विस्तार किया जायेगा।<br>• पंचायती राज निदेशालय लोहिया भवन में आवश्यकतानुसार अनुरक्षण/सौन्दर्यीकरण का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।<br>• समय-समय पर शासन/निदेशालय स्तर पर अन्य आवश्यक कार्यों पर होने वाले व्यय का भुगतान प्रस्तावित। | निर्माण के अतिरिक्त अन्य बिन्दुओं पर सहमति प्रदान की गई। |
| 4. **<u>कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का क्रय (मद संख्या-46)</u>** :-<br>• योजनान्तर्गत कार्यालय उपयोगार्थ एम.एस. आफिस के 50 अदद लाइसेंस का क्रय किया जाना प्रस्तावित है, जिसपर धनराशि रू0 5.00 लाख का व्यय अनुमानित है।<br>• पंचायती राज निदेशालय में आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं सहवर्ती उपकरण/सॉफ्टवेयर का क्रय किया जाना प्रस्तावित है। | माननीय समिति संज्ञानित हुई एवं सहमति प्रदान की गई। |
| 5. **<u>कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बंधी स्टेशनरी का क्रय (मद संख्या-47)</u>** :-<br>• निदेशालय स्तर पर बी.एस.एन.एल. के माध्यम से स्थापित इन्टरनेट का बिल भुगतान किया जाना प्रस्तावित है।<br>• निदेशालय स्तर पर प्रयोग किये जा रहे अतिरिक्त 100 एम.बी.पी.एस. इन्टरनेट की सेवाओं के सापेक्ष भुगतान किया जाना प्रस्तावित है। जिसपर लगभग धनराशि रू0 4.50 लाख वार्षिक व्यय अनुमानित है।<br>• निदेशालय स्तर पर प्रयोग किये जा रहे कम्प्यूटर सिस्टम के वार्षिक अनुरक्षण कराया जाना प्रस्तावित है जिसपर लगभग धनराशि रू0 10.00 लाख का व्यय अनुमानित है।<br>• योजनान्तर्गत प्रदेश के समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0) कार्यालयों को रू0 50,000/- प्रति कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बंधी स्टेशनरी के क्रय हेतु हस्तान्तरित किया जाना प्रस्तावित। | माननीय समिति संज्ञानित हुई एवं |

| | |
|---|---|
| • समय–समय पर शासन/निदेशालय स्तर पर अन्य आवश्यक कार्यों पर होने वाले व्यय का भुगतान प्रस्तावित। | **सहमति प्रदान की गई।** |
| **एजेण्डा बिन्दु–5: अन्य अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।** | माननीय समिति संज्ञानित हुई एवं विभाग में आटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मियों हेतु एच.आर. पॉलिसी तैयार किये जाने के निर्देश दिये गये है। |
| **मा0 कमेटी के अनुमादनार्थ प्रस्तुत ।** | |

अतः में अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

Manoj 27.2.22

**( मनोज कुमार सिंह )**
**अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज, उ.प्र. /अध्यक्ष, ई–पंचायत स्टेट रिव्यू कमेटी, डॉ राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तीकरण योजना।**

**संख्या–5/53 /2022–RMLPSY/512/2016 लखनऊ, दिनांक 28 फरवरी, 2022**
**प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–**

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज, उ.प्र. शासन।
2. विषेश सचिव, पंचायती राज विभाग, उ.प्र. शासन।
3. आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग, उ.प्र.।
4. महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, उ.प्र.।
5. निदेशक, पंचायती राज, उ.प्र.।
6. अपर निदेशक(प्रशा.)/संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक(पं0), पंचायती राज, उ.प्र.।
7. वित्त नियंत्रक/मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, पंचायती राज, उ.प्र.।
8. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., उ.प्र.।
9. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), पंचायती राज, उ.प्र.।
10. उपनिदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ.प्र.।

**( अनुज कुमार झा )**
**निदेशक, पंचायती राज, उ.प्र./उपाध्यक्ष, ई–पंचायत स्टेट रिव्यू कमेटी, डॉ राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तीकरण योजना।**

| | |
|---|---|
| • समय–समय पर शासन/निदेशालय स्तर पर अन्य आवश्यक कार्यों पर होने वाले व्यय का भुगतान प्रस्तावित। | **सहमति प्रदान की गई।** |
| **एजेण्डा बिन्दु–5: अन्य अध्यक्ष महोदय की अनुमति से।** | माननीय समिति संज्ञानित हुई एवं विभाग में आटसोर्सिंग पर कार्यरत कर्मियों हेतु एच.आर. पॉलिसी तैयार किये जाने के निर्देश दिये गये है। |
| **मा0 कमेटी के अनुमादनार्थ प्रस्तुत ।** | |

अतः में अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

Manoj 27.2.22

**( मनोज कुमार सिंह )**
**अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज, उ.प्र. /अध्यक्ष, ई–पंचायत स्टेट रिव्यू कमेटी, डॉ राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तीकरण योजना।**

**<u>संख्या–5/53 /2022–RMLPSY/512/2016 लखनऊ, दिनांक 28 फरवरी, 2022</u>**
**<u>प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–</u>**

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज, उ.प्र. शासन।
2. विषेश सचिव, पंचायती राज विभाग, उ.प्र. शासन।
3. आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग, उ.प्र.।
4. महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, उ.प्र.।
5. निदेशक, पंचायती राज, उ.प्र.।
6. अपर निदेशक(प्रशा.)/संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक(पं0), पंचायती राज, उ.प्र.।
7. वित्त नियंत्रक/मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, पंचायती राज, उ.प्र.।
8. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., उ.प्र.।
9. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), पंचायती राज, उ.प्र.।
10. उपनिदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक, उ.प्र.।

**( अनुज कुमार झा )**
**निदेशक, पंचायती राज, उ.प्र./उपाध्यक्ष, ई–पंचायत स्टेट रिव्यू कमेटी, डॉ राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तीकरण योजना।**